संख्या–769 / 71–2–17–4 / 2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2017

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीति–निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2017 / 4535, दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2017 / 4642, दिनांक 03.03.2017 एवं पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2017 / 4708, दिनांक 10.03.2017, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **National Eligibility cum Entrance Test (NEET)** P.G. 2017 की मेरिट सूची के आधार पर प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों / संस्थानों / मेडिकल कालेजों की समस्त सीटों एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों / निजी मेडिकल कालेजो / डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक मेडिकल / डेण्टल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति–निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) <u>मेरिट सूची, छात्रों का पंजीकरण तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना</u> :–

नीट पी0जी0 2017 के माध्यम से चयनित छात्रों का ऑनलाईन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान आदि की कार्यवाही किए जाने हेतु तकनीकी संस्था के रूप में National Informatic Center (एन0आई0सी0) को नामित किया जाता है।

नीट पी0जी0 2017 का ब्रोशर तैयार किए जाने तथा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को 10 से 30 प्रतिशत के मध्य नियमानुसार (वेटेज) प्रदान करते हुये स्टेट मेरिट सूची तैयार किए जाने हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को तकनीकी संस्थान के रूप में नामित किया जाता है।

(2) <u>(क) अर्हताएं **(Eligibility)**</u>

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी0जी0–2017 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा नियमानुसार स्टेट कोटे की सीटों हेतु अर्ह घोषित किया गया हो।
- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया हो।

➢ ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अर्ह हैं।

(ख) **अनर्हताएं (Non Eligible)** :–

- ऐसे छात्र, जिन्होने नीट पी0जी0 2017 में प्रतिभाग नहीं किया हो।
- ऐसे छात्र, जिनकी इण्टर्नशिप 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण न हुई हो।
- ऐसे छात्र, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अध्ययनरत छात्र, जिन्होने नीट पी0जी0 2017 की अधिसूचना जारी होने की तिथि (दिनांक 26.9.2016) के पश्चात अपनी सीट से त्यागपत्र दिया हो।
- ऐसे छात्र, जिन्होने एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 फाइनल परीक्षा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ तथा बनारस हिन्दू विश्वविश्वविद्यालय, वाराणसी से एवं उ0प्र0 राज्य से बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(3) **काउंसिलिंग प्रक्रिया** :–

NEET, P.G. 2017 की मेरिट सूची के आधार पर राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/राजकीय मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों डीम्ड विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेन्टल कालेजों, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित मेडिकल/डेन्टल कालेजों की समस्त सीटों पर ऑन लाइन काउंसिलिंग राज्य सरकार द्वारा करायी जायेगी।

(4) **पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क** :–

नीट पी0जी0 2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में काउंसिलिंग शुल्क रू0 1,000/– प्रतिछात्र प्रतिचक्र तथा धरोहर धनराशि रू0 1,00,000/– ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा की जायेगी।

(5) **सिक्योरिटी मनी के सम्बन्ध में** :–

सिक्योरिटी मनी के रूप में रू 5000/– की धनराशि सम्बन्धित छात्र द्वारा आन–लाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा की जायेगी। जिन छात्रों द्वारा आवंटन के पश्चात् सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया जायेगा उनके द्वारा सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा धनराशि या तो वापस कर दी जायेगी या फीस में समायोजित कर लिया जायेगा और जिन छात्रों द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कर सीट से त्याग पत्र दे दिया जायेगा या छोड़ दी जायेगी उसके द्वारा जमा सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जायेगा।

(6) **आरक्षण व्यवस्था** :–

(क) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों में निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगाः–

वर्टिकल आरक्षण

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

हॉरिजान्टल आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के छात्र	03 प्रतिशत (पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन–2000 के अनुसार)

- स्पेशल अपील संख्या–689 आफ 2015 सुरेन्द्र कुमार कांवत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आए छात्रों को नीट पी0जी0–2017 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- काउंसिलिंग हेतु 04 मेरिट सूचियॉ तैयार की जायेंगी, जिसमें 03 आरक्षित श्रेणियों की (विकलांगजन उपश्रेणी को चिन्हित एवं सम्मिलित करते हुए) तथा 01 कम्बाइन्ड स्टेट मेरिट रैंक की (विकलांगजन उपश्रेणी को चिन्हित एवं सम्मिलित करते हुए) जिसमें नीट मेरिट में आये आरक्षित श्रेणियों के ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित होगें जिन्होंने आन लाइन रजिस्ट्रेशन कराया हों।

(7) प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज एवं डेण्टल कालेज में आरक्षण

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में नीट पी0जी0 2017 की मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(8) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश एवं डोमिसाइल के सम्बन्ध में

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालजों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रदेश के मूल निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के निवासी भी अर्ह माने जायेंगे।

नीट पी0जी0–2017 की आनलाइन काउंसिलिंग में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1.00 लाख जमा कराया जायेगा, ताकि काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।

(9) पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को weightage/आरक्षण का लाभः–

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारक चिकित्सकों को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं एम0सी0आई0 रेगुलेशन के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नीति निर्धारित कर जिन चिकित्साधिकारियों को नीट पी0जी0 2017